...ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...रण सख्या : 24/2012

छगन लाल दत्तक पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

निर्णय दिनांक : 08.02.2018

दायरा दिनांकः 05.04.2012

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी ग्राम सीसवाली पटवार क्षैत्र सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है, जिसके साबिक खसरा नं0 310 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 311 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 मी0 3672/312 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 1473 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 3672/312 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं0 4086/312/313/330 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 4087/312/330 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 3675/330 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें खातेदार रामा बेटा नन्दा दर्ज है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2006, 2007, 2008, 2009 से होती है। बाद सेटलमेंट उक्त वर्णित आराजी के नये नम्बर जो कायम किये गये है उसके खाता संख्या 419 खसरा नं0 513 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 525 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 528 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 818 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा दर्ज किये गये, जिसमें खातेदार भैरूलाल पुत्र रामा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 की जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2014 से सम्वत 2023 से होती है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट जो वर्तमान नम्बर कायम किये गये, जिसके खाता संख्या 245 खसरा नं0 1023 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 1025 रकबा 2.46 है0, खसरा नं0 1031 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0 1032 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 1073 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 2288 रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.80 है0 दर्ज किये गये जिसमें प्रार्थी का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज है। पूर्व साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2006, 2007, 2008, 2009 की जमाबंदी में कुल किता 8 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा दर्ज था, जिसको बाद सेटलमेंट नई जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 की बनाते समय कुल किता 4 रकबा 39 बीघा

दर्ज कर दिया गया व वर्तमान में भी मौजूद जमाबंदी में उसी अनुसार कुल किता 6 रकबा 4.80 कबा दर्ज है, जबकि पूर्व साबिक रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 5.18 है0 था, लेकिन सेटलमेंट धेकारियो ने लापरवाही बरतते हुअ प्रार्थी का रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा (5.18 है0) की जगह मात्र 29 बीघा 13 बिस्वा (4.80 है0) कम दर्ज कर दिया गया है, अर्थात 0.38 है0 प्रार्थी का रकबा कम कर दिया है, जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान रकबा 4.80 है0 में कमी रकबा 0.38 है0 की पूर्ति की जाकर 5.18 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2016/4835 दिनांक 28.11.2016 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सीसवाली में खाता संख्या 819 में भैरूलाल बेटा रामा चमार सा0देह के नाम जमाबंदी 2034–37 में खसरा नं0 513/20 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 525/7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 528/1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 1818/7 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा दर्ज हाल जमाबंदी 2061–64 के खाता संख्या 232 खसरा नं0 1023/0.90 है0, 1025/2.46 है0, 1031/0.95 है0, 1032/0.22 है0, 1073/0.22 है0, 2288/0.05 है0, कुल 4.80 है0 भूमि छगनलाल दत्तक पुत्र भैरूलाल 1/2 केसरबाई, पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल 1/2 बैरवा सा0 देह के नाम दर्ज है जमाबंदी सं0 2006–08 में खसरा नं0 310/15 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 311/5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 3672/312 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 1473 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं0 3672/312 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 4086/312–313–330 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 4087/312–330 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 3675/330 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल 31 बीघा 19 बिस्वा भूमि रामा बेटा नन्दा चमार के खाते दर्ज है इस प्रकार खातें में गत के मुकाबले वर्तमान में 0.31 है0 भूमि बंदोबस्त विभाग ने कम दर्ज की गई है। प्रार्थी के समीपस्थ खसरा नम्बर में रकबा बढा हुआ नही बताया। इस प्रकार कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम सीसवाली में स्थित वर्तमान रकबा 4.80 है0 में कमी रकबा 0.38 है0 की पूर्ति की जाकर 5.18 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि चूकि प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ स्थित

ा आराजी में रकबा बढा हुआ नही पाया गया है एवं प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि खसरा नं0 में से कमी रकबे की पूर्ति क़ी जानी है। अतः प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही होने से पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया